भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3285

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

संकट के कारण पलायन

3285. श्री इटेला राजेंदर:
श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पिछले 40 वर्षों के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने वाले लोगों और उनमें से कई संकट और हताशा के कारण पलायन करने वाले लोगों का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या विपत्ति के समय पलायन प्रायः ऐसी स्थितियों में होता है जहां व्यक्ति या परिवार के पास पलायन के अलावा गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कोई व्यवहार्य साधन नहीं बचता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विपत्ति के समय होने वाले पलायन, जिसे विश्व बैंक द्वारा गरीबी अथवा आपदाओं के कारण अनैच्छिक आवागमन के रूप में परिभाषित किया गया है, की जांच करने के लिए विशेष कृतिक बलों का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कृतिक बलों का इस संबंध में अवसंरचना सुधार और विभाग-विशिष्ट योजनाओं सहित सिफारिशें और लक्षित हस्तक्षेप उपाय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और सूखा क्षेत्रों सहित श्रेत्र-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/ परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के अनुसार, काम और रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 4.14 करोड़ थी। प्रवास विभिन्न कारणों से होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में कामगारों का प्रवास एक सतत प्रक्रिया है और यह गतिशील है।

जारी...2/-

प्रवासी कामगारों के हितों के रक्षोपाय के लिए, केंद्र सरकार ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया था। यह अधिनियम अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में सम्माहित हो गया है। ओएसएच संहिता में प्रवासी कामगारों सहित कामगारों के लिए मर्यादित कार्य दशाएं, शिकायत निवारण तंत्र, टोल फ्री हेल्पलाइन और सामाजिक सुरक्षा हेतु उपबंध किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का भी शुभारंभ किया है। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/ कल्याणकारी योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम में एकीकृत करना शामिल है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सहायता मिलेगी। अब तक बारह (12) सामाजिक सुरक्षा/ कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/ मैप किया गया है, जिनमें:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आदि शामिल हैं।

*****